बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–24/2016 145 पटना, दिनांकः 12.04.18

कार्यालय आदेश

श्री चंचल कुमार वर्मा तत्कालीन प्रभारी सहायक जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, अररिया संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अरवल प्रखंड, अरवल के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना के पत्रांक–4218 दिनांक–15.07.2016 के साथ संलग्न प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0 पटना के पत्रांक–8326 दिनांक 02.07.2017 द्वारा भेजे गये आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं० 214 सहपठित ज्ञापांक 1637 दिनांक 19.08.2016 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, अररिया को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अररिया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. अपर समाहर्त्ता अररिया के पत्रांक 1777/रा0 दिनांक 31.07.2017 द्वारा श्री चंचल कुमार वर्मा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसमें दिया गया मंतव्य निम्नवत् है :–

(i) "प्रथम आरोप के संबंध में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), अररिया ने निष्कर्ष दिया है कि आरोपी का स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य से आरोप प्रमाणित होता है । आरोपी का यह आरोप है कि खाद्यान्न का गबन उनके पूर्व का है, मान्य नहीं है। क्योंकि इन्होंने प्रभार लिया तथा उस गबन का प्रतिवेदन स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित नहीं किया।

(ii) आरोपी पर गठित दूसरा आरोप भी आंशिक रूप से प्रमाणित होता है। क्योकि प्रभार प्राप्त करने के उपरांत गोदाम में 5 से 6 गुणा अधिक भंडारण के विरूद्ध इनके द्वारा कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई । ऐसा प्रतीत होता है कि परिवहन अभिकर्त्ता के साथ साठ–गांठ कर इनके द्वारा कागजी कार्रवाई के माध्यम से इसका निष्पादन किया जाता रहा।

(iii) तीसरे आरोप के संबंध में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), अररिया ने निष्कर्ष दिया है कि आरोपी द्वारा ,खाद्यान्न की क्षमता से अधिक भंडारण के विरूद्ध कोई सम्यक कार्रवाई नहीं की गई तथा इस संबंध में ससमय जिला प्रशासन को सूचना नहीं दी गई। इससे प्रतीत होता है कि परिवहन अभिकर्त्ता से साठं–गांठ कर ये कागजी खानापूर्त्ति करते रहे है तथा खाद्यान्न के गबन में संलिप्त रहें है।

(iv) स्पष्ट होता है कि ये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे और छः माह बाद अवकाश की स्वीकृति हो पायी। चूँकि अनाधिकृत अनुपस्थिति की सूचना और अवकाश स्वीकृति एक ही

पदाधिकारी(जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, सिवान) द्वारा ही दी गयी है। आरोप सही प्रतीत होता है। अनाधिकृत अनुपस्थिति की सूचना देकर छः माह बाद अवकाश स्वीकृत होना इसका प्रमाण है।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य से स्पष्ट है कि आरोपी का स्पष्टीकरण अमान्य है तथा आरोप प्रमाणित होता है।

उपरोक्त विवेचना एवं मंतव्य से स्पष्ट है कि श्री चंचल कुमार वर्मा द्वारा दिनांक 25.08.2015 को रानीगंज गोदाम का प्रभार ग्रहण किया गया है और जॉच की तिथि 09.02.2016 तक खाद्यान्न की क्षमता से अधिक भंडारण के विरूद्ध कोई सम्यक कार्रवाई नहीं की गई और न ही इस संबंध में जिला प्रशासन को ससमय कोई सूचना दी गई। जिससे स्पष्ट है कि परिवहन अभिकर्त्ता से सांठ–गांठ कर ये कागजी खानापूर्त्ति करते रहें है और उनके विरूद्ध जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, अररिया के पत्रांक 1664 दिनांक 24.09.2016 द्वारा स्थानीय थाना में प्राथमिकी सं० 643/2016 भी दर्ज की गई है और साथ ही साथ निलाम पत्र वाद सं० 01/2016–17 भी दर्ज है। इस प्रकार श्री वर्मा पर लगे चारों आरोप प्रमाणित होते हैं।

3. बिहार सरकारी सरकारी सेवक(वर्गीकरण नियत्रंण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 में किये गये प्रावधान के तहत श्री चंचल कुमार वर्मा से संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन प्राप्त किया गया । अभ्यावेदन में श्री वर्मा द्वारा यह उल्लेख किया गया है रानीगंज की भण्डार पंजी एवं अन्य पंजी अद्यतन नहीं तथा उसमे कई खामियां है एवं भौतिक सत्यापन एवं पंजी में उपलब्ध ब्यौरा में काफी भिन्नता है। इसकी सूचना इनके द्वारा तुरंत जिला आपूर्ति, अररिया को दिया था। इनके योगदान करने के पूर्व से ही रानीगंज गोदाम में क्षमता से अधिक भंडारण था, इस संबंध में रानीगंज काण्ड संख्या–47/16 में इनका नाम अभियुक्त के श्रेणी में नहीं था। ये दिनांक–25.08.2015 को प्रभार ग्रहण किये थे तथा फर्जी परिवहन का आरोप पूर्व से चला आ रहा था, जैसे ही इन्होंने गडबडी देखी दूरभाष से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अररिया को सूचना दी। ये कभी भी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं रहे हैं बल्कि इसकी सूचना 15.01.2015 को ही उनके द्वारा उच्चाधिकारी को दे दी गयी थी। संचालन पदाधिकारी ने तथ्यों की गहनता से जाँच किये बिना आरोप प्रमाणित होने का प्रतिवेदन समर्पित कर दिया है।

श्री चंचल कुमार वर्मा के अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों को दुहराया गया है जो इन्होंने संचालन पदाधिकारी को दिया था। साथ ही इन्होंने सिर्फ दूरभाष से गड़बड़ी की सूचना देने की बात कही है। कहीं भी इन्होंने लिखित प्रतिवेदन देने की बात नहीं की है। कोई गड़बड़ी पाये जाने पर लिखित रूप से उसका प्रतिवेदन देना आवश्यक है, अतः इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है। इन पर लगाये गये आरोप प्रमाणित होते है।

4. अतः संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री चंचल कुमार वर्मा, तत्कालीन सहायक प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, अररिया सम्प्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अरवल प्रखंड, अरवल पर प्रमाणित आरोपों के लिए संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में सरकारी राजस्व की क्षति/गबन की राशि भी श्री चंचल कुमार वर्मा से वसूलनीय है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री चंचल कुमार वर्मा, तत्कालीन सहायक प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम अररिया सम्प्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अरवल प्रखंड, अरवल पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०1/आ०2–24/2016 865 पटना, दिनांक :– 12.04.18

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–4218 दिनांक 15.07.16 एवं प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0 पटना के पत्रांक–8326 दिनांक 02.07.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आरोपी श्री चंचल कुमार वर्मा से क्षति/गबन की राशि वसूली हेतु विधि सम्मत कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।
3. जिला पदाधिकारी, अररिया / अरवल
4. कोषागार पदाधिकारी, अररिया/अरवल
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अररिया/अरवल
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरवल प्रखंड, अरवल
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री चंचल कुमार वर्मा, तत्कालीन सहायक प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम अररिया सम्प्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अरवल प्रखंड, अरवल

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/4/18

निदेशक

03029 स्था० 1 (05 अप्रैल 2018) चंचल कुमार वर्मा.